न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 102/2016

बलराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी 15 ए एस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17-7-17

1. यह अपील तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 15 ए एस ए तहसील श्रीविजयनगर प0न0 218/470 के किला न. 6/0.253 है0 भूमि महिया वल्द फत्ता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जिसका के द्वारा कार्यालय उप जिला कलक्टर श्रीविजयनगर से जरिये संपरिवर्तन आदेश क्रमांक रीडर/2014/भू.रू./1662-66 दिनांक 17.10.2014 के द्वारा कृषि भूमि से आवासीय भूमि में संपरिवर्तन करवाई हुई है। अपीलांट ने महिया वल्द फत्ता कौम बावरी साकिन मोटासर से उसकी आवासीय भूमि चक 15 एएस ए तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 218/470 के किला न0 6/0.253 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.05.2015 के द्वारा खरीद की थी। अपीलांट के द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा के खरीद किये जाने के बाद उक्त भूमि बैयनामा पटवारी हल्का 15 एएसए को प्रस्तुत किया। पटवारी द्वारा नामांतरण दर्ज कर दिया परन्तु सरपंच द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी इंतकाल स्वीकृत नहीं किया गया। समयावधि व्यतीत होनें के बाद यह इंतकाल वास्ते स्वीकृति तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर को प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर ने दिनांक 05.06.2015 को उक्त नामांतरण बिना कोई उचित कारण अंकित किये अस्वीकृत कर दिया जबकि पटवारी द्वारा मुताबिक बैयनामा इंतकाल रजिस्टर में इन्द्राज किया तथा हल्का गिरदावर के द्वारा रिपोर्ट भी की गई। आदेश तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर दिनांक 05.06.2015 एक पक्षीय बिना अपीलांट को सुने गलत व विधि विरूद्ध होने से अपील स्वीकार कर मातहत न्यायालय का उक्त आदेश अपास्त किया जावे।
2. उक्तानुसार अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। व बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि मेरी अपील मीमो ही मेरी बहस है। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि भू राजस्व अधिनियम के नियमों में परिवर्तन हो चुका है। उसी के आधार पर यह इंतकाल खारिज किया गया है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया साथ ही उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि के रूपांतरण) नियम 2007 का अध्ययन किया जिसमें राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6 (26) राजस्व. 6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के नियम 12 के उपनियम 5 में यह उल्लेखित किया गया है कि "कृषि भूमि को अकृषि में रूपांतरण करवाने के बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार अपने कार्यालय में एक अलग इंतकाल रजिस्टर खोलेगा जिसमें उक्त भूमि के किस्म रूपांरण संबंधी प्रविष्टि कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि का इंतकाल दर्ज करेगा।" प्रकरण में भी अपीलांट द्वारा किस्म रूपांतरित की गई भूमि का इंतकाल चढ़ाने हेतु पटवारी के पास आवेदन किया, व तहसीलदार ने दिनांक 05.06.2015 को उक्त इंतकाल खारिज कर दिया। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर का उक्त आदेश दिनांक 05.06.2018 राजस्थान सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 6 (26) राजस्व. 6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के नियम 12 के उपनियम 5 के अनुकुल प्रतीत होती है ।

अतः तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर का आदेश दिनांक 05.06.2018 नियमों के अनुकुल होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है। एवं तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर का निर्णय दिनांक 05.06.2018 यथावत रखा जाता है। अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी स्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner